सरयू राय
सदस्य
झारखण्ड विधान सभा
सभापति
प्रत्यायुक्त विधान समिति

आवास :
● एफ. टाईप, आवास सं०-1, ए.जी. मोड़, डोरण्डा, राँची - 834002
मोबाईल नं. : 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com
वेबसाईट : www.saryuroy.in

पत्रांक : 634/JSR/26 दिनांक : 17/08/26

अपर नगर आयुक्त,

मानगो नगर निगम

विषय :- शहरी स्थानीय निकायों में योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में लोकसभा / विधानसभा के सांसदों/ विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी संकल्प 9.2.2017 का क्रियान्वयन करने के संबंध में.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संकल्प की छायाप्रति संलग्न है जो स्वतः स्पष्ट है. इस संदर्भ में निम्नलिखित दो बिन्दु क़ाबिले गौर हैं.

(क) राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय का नाली निर्माण, सड़क निर्माण और नागरिक सुविधाओं के मद में व्यय करने के संबंध में मार्गदर्शन.

एतदनुसार

1. नाली निर्माण के लिए उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत वार्डों में व्यय होगा और 40 प्रतिशत राशि निकाय स्तर यानी एक से अधिक वार्डों से जुड़ी योजनाओं पर व्यय होगा.

2. सड़क निर्माण के लिए प्राप्त आवंटन में से 40 प्रतिशत राशि वार्ड के भीतर के सड़कों के निर्माण में खर्च होगा और 60 प्रतिशत राशि निकाय स्तर यानी ऐसी सड़कों के निर्माण में होगा जो एक से अधिक वार्डों को जोड़ती हैं.

3. नागरिक सुविधा मद में सरकार से उपलब्ध धनराशि का 20 प्रतिशत वार्डों की योजनाओं के लिए तथा 80 प्रतिशत निकाय स्तर की योजनाओं पर अर्थात् ऐसी योजनाओं पर व्यय होगा जो एक से अधिक वार्डों से जुड़ी होंगी.

(ख) शहरी निकायों को विविध प्रक्षेत्रों की योजनाओं के लिये सरकार से प्राप्त राशि के विरूद्ध योजनाओं का चयन :-

इस मद में प्राप्त राशि में से 70 प्रतिशत राशि का व्यय निकाय के बोर्ड द्वारा चयनित निकाय स्तर की सेप्रेटर होगा और शेष 30 प्रतिशत राशि का व्यय निम्नानुसार अनुशंसित योजनाओं पर होगा.

1. 10 % महापौर की अनुशंसा पर
2. 5 % उपमहापौर की अनुशंसा पर
3. 5 % नगर उपायुक्त की अनुशंसा पर
4. 10 % सांसद/ विधायक की अनुशंसा पर

अनुरोध है कि कल 18 अगस्त 2026 को आहुत मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत विकास योजनाओं की सूची को इस अनुरूप संशोधित करना चाहेंगे.

सधन्यवाद,

सरयू राय

अनुलग्नक :- यथोपरि

दि० 09/02/17

संकल्प

नगर निगम

विषय: शहरी स्थानीय निकायों में योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन में लोक सभा/विधान सभा के संबंधित माननीय सांसदों/विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय–17 में अंकित प्रावधान के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों को अपने राजस्व संसाधनों में वृद्धि करनी है ताकि प्राप्त राजस्व का उक्त शहरी स्थानीय निकाय के विकास हेतु समुचित उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के मद में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को सरकारी राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

2. संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के आन्तरिक स्त्रोतों से उदग्रहित राशि तथा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के मद में प्राप्त राशि का व्यय नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जाता है।

3. केन्द्र एवं राज्य सम्पोषित योजनाओं तथा अन्य स्त्रोतों से विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध राशि से संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के बोर्ड द्वारा योजनाओं का चयन किया जाता है, किन्तु इस क्रम में लोक सभा/विधान सभा के संबंधित माननीय सांसदों/विधायकों को कोई [illegible] अधिकार प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जन आंकाक्षाओं की पूर्ति करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3873 दिनांक–[illegible].09.2014 की कंडिका–3 में निम्नांकित निर्णय संसूचित किए गए हैं :

3.1. राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को प्रक्षेत्रवार, यथा–सड़क निर्माण, नाली निर्माण, नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का निम्न रूपेण वितरण (Distribution) करते हुए व्यय किया जाएगा :

क्र०	प्रक्षेत्र	निकाय स्तर	वार्ड स्तर
1	नाली	40%	60%
2	सड़क	60%	40%
3	नागरिक सुविधा	80%	20%

कर्णांकित प्रक्षेत्रीय राशि का वार्डवार वितरण समस्त वार्डों की जनसंख्या एवं उनके क्षेत्रफल के आधार पर 50:50 के अनुपात में किया जाएगा।

किसी प्रक्षेत्र की वार्ड स्तरीय कर्णांकित राशि हेतु ऐसे वार्ड में योजना चयनित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित वार्ड समिति की अनुशंसा पर दो या दो से अधिक वार्डों के लिए उपयोगी योजनाओं में निकाय के बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत राशि व्यय की जा सकेगी।

किसी प्रक्षेत्र की वार्ड स्तर पर कर्णांकित राशि के व्यय नहीं किए जाने अथवा अवशेष रहने की स्थिति में निकाय स्तर से कार्यांवित की जाने वाली योजनाओं में इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा प्रक्षेत्रवार [illegible] [illegible] कार्य योजना तैयार करते समय उक्त शहरी स्थानीय निकाय के लिए [illegible] प्रक्षेत्रीय बजटीय उपबंध की राशि की 1.25 गुणा लागत की योजनाएँ ली जा सकेंगी, जिस क्रम में उपर्युक्त कंडिका 4.1 में वर्णित क्षेत्रवार कर्णांकण को ध्यान में रखा जाएगा।

इस क्रम में उक्त प्रक्षेत्र एवं क्षेत्र अन्तर्गत वर्त्तमान दायित्व (Current liability) हेतु [illegible] वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन हेतु आवश्यक राशि को घटाने के उपरान्त अवशेष [illegible] अन्तर्गत ही नई योजनाएँ ली जा सकेंगी।

[illegible] हेतु कर्णांकित राशि के अन्तर्गत चयनित की जा रही योजनाओं के संबंध में [illegible] स्थानीय लोक सभा सांसद एवं स्थानीय विधायक की भी सक्रिय भागीदारी [illegible] जाए, जिसके आलोक में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं :

[illegible] शहरी स्थानीय निकायों को प्रक्षेत्रवार यथा सड़क निर्माण नाली निर्माण तथा नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध करायी गई राशि की 70% राशि के विरूद्ध संबंधित निकाय के बोर्ड के द्वारा निकाय स्तर की योजनाओं का चयन किया जाएगा, जिस क्रम में **"अधिकतम जनसंख्या को अधिकतम लाभ"** के सिद्धांत का पालन किया जाएगा।

5.2 निकाय स्तर पर कर्णांकित अवशेष 30% राशि के विरूद्ध निकाय स्तरीय योजनाओं का चयन निम्नांकित प्रावधान के आलोक में किया जाएगा :

निर्वाचित प्रतिनिधि	अनुशंसित योजनाओं का अधिकतम प्रतिशत
महापौर / अध्यक्ष	10
उपमहापौर / उपाध्यक्ष	5
नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी	5
संबंधित निकाय के विधायक / लोक सभा के प्रतिनिधि	10

5.3 किसी निकाय क्षेत्र में एक से अधिक की संख्या में स्थानीय लोक सभा सांसद तथा [illegible] विधायक के निर्वाचित रहने की स्थिति में, उनके लिए कर्णांकित राशि उनकी संख्या के [illegible] में विभाजित करते हुए यथा उपलब्ध राशि के अन्तर्गत निकाय स्तरीय योजनाओं की [illegible] जाएगी।

[illegible] आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में [illegible] जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित प्राधिकार / पदाधिकारियों को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

9.2.17

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

Scanned with OKEN Scanner